


२/८/२२ पशावली आज पेक्षा इई वादी एंव वकील  
वादी अउउपस्थित वार-वार आवाज  
लगावार् वाई कोई उपस्थित नही आया  
इतसे यह पुष्ट होता है कि वादी एंव  
वकील वादी वाद पत्र को आगे चलाने हेतु  
करपर् इच्छुक नही है (लिखाणा वकी का  
वाद अयम परवा अयम हाजरी मे स्वारिज  
किया जाता है/ पशावली के मल शुभाट होकर  
पुज नम्बर से कम होने पर वास्विल वफात  
है

निर्णय आज दिनांक २/८/२२ को सुप्रीम  
न्यायालय एंव सरे इजलास सुनाया  
गया

  
जय खण्ड अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)